संघ सरकार के वर्ष 2024–2025 के वित्त लेखे

FINANCE ACCOUNTS OF THE UNION GOVERNMENT FOR THE YEAR 2024-2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

Certificate of the Comptroller and Auditor General of India

यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्त लेखों की जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे निदेशन में की गई है। ये लेखे महालेखा नियंत्रक और सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का दायित्व हैं। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन लेखों पर मत व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। वे मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि क्या ये लेखे वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और लेखों में प्रकटीकरण की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना तथा साथ ही, लेखों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत का तार्किक आधार उपलब्ध कराती है।

मेरे अधिकारियों द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई सूचना और व्याख्या के आधार पर तथा लेखों की परीक्षण के तौर पर की गई लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार इस संकलन में की गई टिप्पणियों के साथ पठित, अब प्रस्तुत किए गए लेखे 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखों पर मेरे प्रतिवेदनों में दिए गए अभिमतों के अधीन रहते हुए संघ के वर्ष 2024-25 के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सही और उचित निरीक्षण प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 दिसम्बर, 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

It is certified that Finance Accounts have been examined under my direction in accordance with the requirements of Articles 149 and 151 of the Constitution of India and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971. These accounts are the responsibility of the Controller General of Accounts, and the Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure. Our responsibility is to express an opinion on these accounts based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the accounts are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the accounts. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the information and explanations that my officers required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts, the accounts now presented read with observations in this compilation give a true and fair view of the receipts and disbursements for the purpose of the Union for the year 2024-25 subject to the observations in my Reports on the accounts of the Union Government for the year ended 31st March, 2025.

Place : New Delhi
Dated : 4th December, 2025

(K. SANJAY MURTHY)
Comptroller and Auditor General of India